न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी,
जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री विवेक व्यास (आरएएस)
राजस्व वाद संख्याः– 59 / 2021

तारीख दायराः– 25.10.2021

प्रार्थीः– श्रीमती दुर्गा कंवर पत्नी श्री सुखदेव, जाति चारण, निवासी अणेवा तहसील–देसरी।

बनाम

अप्रार्थीगणः– 1. सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बाली।
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, तहसील–देसूरी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी</u>

उपस्थितिः 1.श्री राव यशपाल सिंह राणावत प्रार्थीनी संख्या 1 की ओर से उपस्थित
2. सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बाली अप्रार्थीगण संख्या 1 अनुपस्थित
3. तहसीलदार देसूरी, तहसील–देसूरी अप्रार्थीगण संख्या 2 उपस्थित

आदेश — दिनांकः–11.03.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम अणेवा, पटवार हल्का–लाम्पी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डायलाना कला, तहसील देसूरी जिला–पाली में खाता संख्या नये 87, खाता संख्या पुराना 82 में प्रार्थीनी की कदीमी पुरानी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 744, क्षेत्रफल 1. 5300 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 909 / 1 क्षेत्रफल 0.9000, किस्म बारानी दोयम, कुल क्षेत्रफल 2.4300 हैक्टर विद्यमान है। जिसके प्रमाण में जमाबंदी संवत 2073–2076 प्रस्तुत की है। जिसमें उक्त खसरा संख्या 744 में प्रार्थीनी द्वारा कई वर्षो से सिंचाई हेतु नियमानुसार कुआ खुदवाया गया तथा निर्माण करवाया गया जिसे इस वाद पत्र में सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त कुआ से सम्बोधित किया जा रहा है। प्रार्थीनी ने उक्त वादग्रस्त कुआ की राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने हेतु अभिलेख में अमलदरामद करवाने हेतु कई बार राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निवदेन किया। बांध की पाल से उक्त वादग्रस्त कुआ लगभग 150 फीट दुर निर्मित है। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार निवदेन के बावजूद भी वादग्रस्त कुआ को रार्जस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं किए जाने पर भी प्रार्थीनी ने एक वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण हस्बधारा 88,188,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया हुआ है। सहायक अभियता जल संसाधन उपखण्ड बाली, तहसीलदार देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीनी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही पर अमादा है। प्रार्थीनी के वादग्रस्त कुआ में सिंचाई हेतु जल दोहन में रोक टोक,

11.3.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

दखलदांजी की जाती है तो प्रार्थीनी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीनी अपने हक अधिकारों से वंचित रह जाएगी एवं प्रार्थीनी को अपूणीय क्षति होगी। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मुल वाद के निर्णय में समय लगेगा। जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कुआ से प्रार्थीनी को बेदखल नहीं करे न किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त कुआ को खुदबुर्द करने, बेदखल करने, कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग कोई रोक टोक, दखलंदाजी अप्रार्थीगण को करने से रोका जाना नितांत आवश्यक है जिस हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से तुरंत ही अप्रार्थीगण को रोकना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीनी को अपूणीय क्षति होगी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए।

पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रकरण में प्रार्थीणी (दुर्गा कंवर) द्वारा घोडा दडा बांध की पाल के डाउन स्ट्रीम की Toe से की गई पैमाईश अनुसार 30 मीटर पर दुर्गाकंवर पत्नी सुखदेव चारण का खसरा नंबर 744 रकबा 1.563 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पक्का कुआ बनाया हुआ है जो कि जल संसाधन विभाग माप दण्डानुसार (भारतीय मानक 9296–2001 बांध तथा संबंध सरंचनाओं के निरीक्षण तथा रख रखाव मार्गदर्शी सिद्धांत) प्रतिबंधित स्थान पर है। चूंकि बांध की पाल के निचले भाग से अर्थात पाल D/S की TOE से 200 मीटर के अंदर तक किसी भी प्रकार के निर्माण (बेरा, टयूबवेल) की अनुमति का प्रावधान नहीं है। उक्त संबंध में सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बाली की रिपोर्ट एवं मौका फर्द संलग्न है। प्रार्थीनी को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/एफ/16(5)(2)()विधि/2021/2355 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड बाली को लिखा जाकर जल संसाधन उपखण्ड बाली की ओ से पैरवी करने हेतु तहसीलदार दूेसरी को निर्देशित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीनी की बहस सुनी गई पत्रावली मय पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त कुए का फोटोग्राफ, नक्सा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2073–76, मौका फर्द दिनांक 20.10.2021 एवं नजरी नक्शा मय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 744 रकबा 1.53 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में पक्का कुआ निर्मित होना जाहिर है। घोडा दडा बांध कीपाल के डाउन स्ट्रीम की TOE से 200 मीटर के अंदर तक किसी भी प्रकार के (निर्माण, बेरा, टयूबवेल) की अनुमति का प्रावधान नहीं है जो अप्रार्थी के जवाब से स्पष्टतः प्रतीत होता है। जो कि नियमानुसार प्रतिबंधित भूमि की तारीफ में आता है।

न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.11.2021 को प्रार्थीनी के पक्ष में वादग्रस्त कुए से प्रार्थीनी को बेदखल नहीं करने व यथास्थिति बनाए रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

11.3.2024

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner